वैज्ञानिक तथा औद्यौगिक अनुसंधान परिषद् अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-01

संख्या: 6-4(59)/2010-ई-।।।

दिनांक: 29.03.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति

उपरोक्त विषय में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16-17.07.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. A-27012/02/2017-Estt.(AL) में निहित प्रवधानों के अनुसार, बाल शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन प्रपत्र का संशोधित प्रोफार्मा इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न हैं। सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे संशोधित प्रोफार्मा में ही अपने शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा इस कार्यालय में जमा करें।

(पूरणमा अराड़ा) अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

- 1. उपाध्यक्ष, सीएसआईआर मुख्यालय का कार्यालय
- 2. महानिदेशक, सीएसआईआर मुख्यालय का कार्यालय
- 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर मुख्यालय का कार्यालय
- 4. वित्त सलाहकार के निजी सहायक, सीएसआईआर मुख्यालय
- 5. मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), सीएसआईआर मुख्यालय
- 6. वरिष्ठ उप सचिव (एचआर/पी.डी) की निजी सहायक, सीएसआईआर मुख्यालय
- 7. विधि सलाहकार का कार्यालय
- 8. उप सचिव (के.का) के निजी सचिव
- 9. अवर सचिव (नीति प्रभाग)
- 10. सीएसआईआर मुख्यालय/ एचआरडीसी/ आईपीयू/ एमबीएसए/ विज्ञान केन्द्र/ टीकेडीएल/ के सभी सूचना पट्ट
- 11. प्रधान, आईटी प्रभाग इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराएँ।
- 12. कार्यालय प्रति

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ANUSANDHAN BHAWAN, RAFI MARG, NEW DELHI-110001 अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001

बाल शिक्षा भत्ते/छात्रावास अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रोफार्मा PROFORMA FOR RE-IMBURSEMENT OF CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE/HOSTEL SUBSIDY

(दिनांक 16.08.2017 का डीओपीटी का का.ज्ञा.सं. ए-27012/02/2017-इस्ट(एएल)/DoPT OM No. A-27012/02/2017-Estt.(AL))

वित्तीय वर्षहेतु दावा

Claim for Financial Year.....

	एतदद्वारा मैं अपने बच्चे/बच्चों के बाल शिक्षा भत्ते/छात्रावास अनुदान र्व गया है :-	ने प्रतिष	पूर्ति के लिए आवेदन करता/कर	ती हूं। संबंधित ब्योरा नीचे
ादया	ાયા	on All	owance/Hostel Subsidy	for my child/children
and r	elevant particulars are furnished below		owanice/i lostel oubsidy	ior my child/children
and i क/A.	कर्मचारी का विवरण/Details of the Employee:			
ক/A. 1.				
'-	कर्मचारी का नाम/Name of the Employee			
2.	कर्मचारी की पहचान पत्र (आईडी) सं./Employee ID			
3.	पदनाम/Designation			
ख/B.	उस बच्चे/उन बच्चों का विवरण जिसके/जिनके लिए बाल शिक्षा भत्ते/छात्राव	त्रास अ	नुदान का दावा किया गया है :	
	Details of children for whom Children Education Allowance/H	lostel	Subsidy is claimed:	
			पहला बच्चा/1st Child	दूसरा बच्चा/2 nd Child
बच्चे	ा का नाम /Name of the Child			
जिस	दिन आवेदन किया है उस दिन जन्म तिथि/ आयु			
Date of Birth/Age as on date of applying				
जिस स्कूल में पढ रहें हैं उसका नाम/School in which studying				
किस कक्षा में पढ़ रहे हैं/Class in which studying				
क्या	छात्रावास अनुदान का दावा किया गया है, यदि हां तो कर्मचारी के आव	ास से		
छात्रावास की दूरी/ Whether Hostel Subsidy claimed, if yes, distance				
	n Hostel to residence of employee			
शैक्ष	णिक वर्ष 20से 20तक के लिए पहले ही प्राप्त बाल शिक्षा भत्ता/			
छात्रावास अनुदान की राशि/ Amount of CEA/Hostel subsidy already				
received for the Academic Year 2020				
दावा की गई प्रतिपूर्ति राशि/Amount of reimbursement claimed				

जिस बच्चे के लिए बाल शिक्षा भत्ते /छात्रावास अनुदान का आवेदन किया गया है क्या वह नि:शक्त हैं :

Whether the child for whom the CEA/hostel subsidy is applied is a disabled child:

(i) यदि हां तो यह बताइए कि नि:शक्तता किस प्रकार की है : If yes, indicate the nature of disability:

(ii) नि:शक्तता प्रमाणपत्र की तिथि:

Date of disability certificate: (iii) नि:शक्तता की प्रतिशतता इंगित कीजिए : Indicate the percentage of disability:

दिनांक/Date :

ग/(ग/C.				
1.	 प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे के समक्ष इंगित शुल्क, संस्थान (संस्थानों) से प्राप्त संलग्न प्रमाणप 	त्र (प्रमाणपत्रों) के माध्यम से मेरे			
	द्वारा वास्तविक रूप से अदा किया गया है ।				
	Certified that the fees indicated against the child/each of children had actually been p attached.	aid by me vide certificate(s)			
2.					
۷.	-: भरी पत्नी/ पति केन्द्र सरकार/स्वायत्त संगठन की सेवा में नहीं हैं;				
	My wife/husband is not in service of a Central Government/Autonomous Organiz	ation:			
	(ii) मेरी पत्नी/ पति केन्द्र सरकार/स्वायत्त संगठन की सेवा में हैं किंतु वे हमारे बच्चे/बच्चों के बाल शिक्षा क का दावा अपने विभाग से नहीं करेंगे ;				
	My wife/husband is in the service of a Central Government/Autonomous Organiz	ation but she/he will not claim			
	reimbursement of children education allowance/hostel subsidy in respect of our c	child/children from her/his			
	department;				
	(iii) मेरी पत्नी/पतिकार्यालय में वि	नेयुक्त हैं किंतु अपने नियोक्ता के			
	 नियमानुसार वे हमारे बच्चे/बच्चों के बाल शिक्षा भत्ते/छात्रावास अनुदान की प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं				
	My wife/husband is employed withbu				
	reimbursement of children education allowance/hostel subsidy in respect of ou				
	her/his employer;	•			
	 (iv) मैं/मेरी पत्नी/मेरे पति मेरे किसी भी बच्चे/बच्चों के बाल शिक्षा भत्ते/छात्रावास अनुदान का आहरण नः	हीं कर रहे हैं:			
	I/my wife/husband are not drawing children education allowance/hostel subs				
	children;				
3.					
	Certified that during period covered by this claim, the child/children attended the s				
	absent himself/herself/themselves from the school(s) without proper leave for a period	d exceeding one month;			
4.		अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु मेरी पात्रत			
	In the event of any change in the particulars given above which affects my eligibility	for reimbursement of children			
	education allowance/hostel subsidy, I undertake to intimate the same promptly	and also to refund excess			
	payments, if any, made;				
5.	5. दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों का विवरण:				
0.	(यदि निर्धारित प्रोफार्मा में संस्थान/ स्कूल के प्रमुख से यह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सके कि पिछले शैक्षणिक वर्ष के की तो बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान किए गए शुल्क की स्व-सत्यापित रसीदें <u>या</u> रिपोर्ट कार्ड की स् छात्रावास अनुदान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान किए गए शुल्क की स्व-सत्यापित रसीदें <u>पुवं</u> रिपोर्ट कार्ड की स्व-सत्यापि	दौरान उस बच्चे ने संस्थान / स्कूल में पढाः च-सत्यापित प्रति की आवश्यकता है तथ			
	Details of documents attached in support of claim:				
	(In case the certificate from Head of Institution/ School certifying that the child studied in	the Institution/ School during the			
	previous academic year cannot be obtained in the prescribed proforma, Self-attested Receipts	of fee paid OR Self-attested copy			
	of report card is required for claim of CEA and Self-attested Receipts of fee paid AND Self	-attested copy of report card are			
	required for claim of hostel subsidy).				

(परिषद के कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)

(Name & Signature of the Council Servant)

कर्मचारी की पहचान पत्र सं./ Employee's ID no.:

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH ANUSANDHAN BHAWAN, 2, RAFI MARG, NEW DELHI – 110 001.

(DoPT OM No. A-27012/02/2017-Estt.(AL) dated 16.08.2017)

CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION/SCHOOL

(For reimbursement of Children Education Allowance/ Hostel Subsidy)

Ref. No			Date:
It is certified that Ma	ster/Kumari		
having, Admission No.		D.O.B	
Son/Daughter of Mr./Mrs			was
studying in class	Section	Roll No	during the previous
academic year from	to		School/ Institution,
namely			vide affiliation
Regd. No./ Code	and pat	tern	Curriculum.
(For claim of Hostel Subsidy	only, strike out if no	ot applicable)	
It is also confirmed that Mass	ter/Kumari		has paid
an amount of Rs.			
(Rupees)
towards boarding and lodging	g in the residential co	omplex.	

Signature of Principal (Affix School Stamp)

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110 001

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 16.08.2017 के का.ज्ञा.सं.ए-27012/02/2017-ईस्ट.(एएल))

संस्थान/स्कूल के प्रधान द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र (संतान शिक्षा भत्ता/छात्रावास सहायिकी की प्रतिपूर्ति हेतु)

संदर्भ सं	दिनांक:
प्रमाणित किया जाता है कि	क्
	जन्मतिथि
सुपुत्र/सुपुत्री, श्री/श्रीमती	स्कूल/
संस्थान	में वर्ष
से	के पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान
	में अनुक्रमांकके साथ
अध्ययनरत थे/थीं । उनकी पंजीकर	ण संख्या/कोड
तथा पैटर्न	पाठ्यक्रम था ।
(केवल छात्रावास सहायिकी के दावे हे	तु, यदि असम्बद्ध हो तो कृपया काट दें)
यह भी पुष्टि की जाती है कि कु	ने आवासीय परिसर
(रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स) में बोरि	ईंग (भोजनव्यवस्था) और लॉजिंग (निवास) हेतु
र (शब्दों में रुप	ाये)
की धनराशि का भगतान किया है ।	

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के हस्ताक्षर (स्कूल की मुहर सहित)